भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3184
6 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अनुमोदित लाभार्थी

†3184. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के आरंभ होने के बाद से योजना के अन्तर्गत खंड-वार और श्रेणी-वार कुल कितने लाभार्थियों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितना निवेश जुटाया गया है, कितना उत्पादन हुआ है और कितने प्रोत्साहन संवितरित किए गए हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई, सहकारी समितियों और नवोन्मेषी/जैविक उत्पाद विनिर्माताओं की भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य उत्पादों के मूल्यवर्धन, ब्रांड संवर्धन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत दिनांक 30/06/2026 तक स्वीकृत लाभार्थियों/आवेदनों की क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	क्षेत्र	स्वीकृत संख्या	कुल
1	श्रेणी – I	आरटीई/आरटीसी	11	49
		एफ एंड वी	25	
		समुद्री	09	
		मोत्ज़रेला पनीर	04	
2	श्रेणी –II	अभिनव	2	15
		जैविक	13	
3	श्रेणी –III	बी एंड एम	70	70
4	मिलेट आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी)	बड़ी संस्थाएँ	8	29
		एमएसएमई	21	
कुल			**163**	**163**

(ख): स्वीकृत आवेदकों द्वारा लगभग 9207 करोड़ रुपये का संचयी निवेश किया गया है। योजना के अंतर्गत लगभग 34 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता निर्मित की गई है। अब तक कुल 3271.44 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

(ग): पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत 163 आवेदकों में से 68 आवेदक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य स्वीकृत आवेदकों की 40 अनुबंध विनिर्माण इकाइयाँ भी एमएसएमई से हैं। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत स्वीकृत 163 आवेदकों में से, 2 आवेदक सहकारी समितियां हैं, 2 आवेदक अभिनव खाद्य उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत हैं और 13 आवेदक जैविक उत्पाद खंड के अंतर्गत हैं।

(घ) और (ङ): इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण दिग्गजों के निर्माण की सहायता करना, विदेशों में भारतीय खाद्य उत्पादों के ब्रांडों को बढ़ावा देना, गैर-कृषि नौकरियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, कृषि उपज का लाभकारी मूल्य और किसानों की उच्च आय सुनिश्चित करना है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत प्रोत्साहन तब स्वीकार्य हैं जब खाद्य उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रियाओं की पूरी श्रृंखला, जिसमें प्राथमिक प्रसंस्करण भी शामिल है, भारत में होती है। स्वीकृत लाभार्थियों/आवेदकों द्वारा विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

*****